दिनांक 03.04.2025 को मै0 हिमालय वाईन कम्पनी प्रा0 लि0 की मौजूदा माल्ट स्पिरिट, केन जूस आधारित रम, काफ्ट जिन प्लान्टन और बाटलिंग प्लान्ट का 6 के.एल.डी. से 10 के.एल.डी. तक प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 हिमालय वाईन कम्पनी प्रा0 लि0, प्लाट संख्या–2ए, सेक्टर–4, आई.आई.ई., एस्कोर्ट फार्म, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा उपरोक्तानुसार क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत, पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व, लोक सुनवाई की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित है।

उक्त लोक सुनवाई किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई आयोजित किये जाने एवं उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में टीका/टिप्पणी, सुझाव, आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों ''अमर उजाला''(उत्तराखण्ड संस्करण) व ''टाईम्स ऑफ इण्डिया'' (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 01.03.2025 के अंकों में जन सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 24.03.2025 द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, काशीपुर व जिला आबकारी अधिकारी, उधमसिंहनगर को नामित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 03.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे प्रस्तावित उद्योग परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन समुदाय का स्वागत करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया कि, वे पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुने तथा इसके पश्चात परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की टीका–टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से पैनल को अवगत करायें।

तत्श्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग की पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0 दिव्या मिश्रा से विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने को कहा गया। इसी अनुक्रम में उद्योग की पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 प्रकृति कन्सलटैन्ट सर्विसेज, लखनऊ द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट आदि का विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सभा मे उपस्थित जन समुदाय को उनके सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से दिये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा निम्नानुसार सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज की गयी।

1. **श्री जितेन्द्र गुंसाई, ग्राम–कुण्डेश्वरी–** इनके द्वारा गांव के रोजगार मिलने के सम्बन्ध में पृक्षा की गयी प्लान्ट विस्तारीकरण से स्थानीय लोगों को रोजगार में कितना फायदा होगा ? उनके द्वारा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिये जाने की मांग की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि यदि न नुकशान हमारा है तो फायदा भी हमारा होना चाहिए।

   इस पर परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया कि, हमारी हमेशा से स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने की कोशिश रही है। प्लान्ट विस्तारीकरण से रोजगार के अवसर बढेगें तथा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

2. **श्री मयंक जोशी, एडवोकेट, ग्राम–कुण्डेश्वरी–** इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि प्लान्ट विस्तारीकरण से कितने लोगों को कम्पनी की तरफ से रोजगार मिलेगा? उनके द्वारा ठेकेदारी के अतिरिक्त रोजगार देने की मांग की गयी। उनके द्वारा पृक्षा की गयी गयी वर्तमान में कितने लोगो को कम्पनी की तरफ से रोजगार मिली है? उनके द्वारा उद्योग में प्रयोग होने वाले पानी का नदी/नालों में डालने के बारे मे पूछा गया।

   इस पर परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया कि उद्योग ZLD पर आधारित है। उद्योग में वाटर ट्रीटमेन्ट फैशेलिटी लगी हुयी है। किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा। जो पानी बचेगा उसे सालिड फार्म में होगा। उनके द्वारा स्थानीय लोगों को कम्पनी की तरफ से रोजगार देने की बात भी कही गयी।

3. **श्री बलवेन्दर सिंह रावत, ग्राम–पच्चावाला**–इनके द्वारा अवगत कराया गया कि जब से यह प्लान्ट लगा स्थापित है, प्रदूषण की समस्या हो रही है तथा रात में दुर्गन्ध से सोया नहीं जा पा रहा है। यदि प्लान्ट का विस्तारण होगा तो और अधिक प्रदूषण होगा। उनके द्वारा पृक्षा की गयी कि इस हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ?

   इस पर परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया कि हम जो भी कार्य कर रहें हैं व प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में कर रहे हैं। प्लान्ट में जो भी सिस्टम लगें है वे सब प्रदूषण नियंत्रण के आधार पर ही लगे है। प्लान्ट में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जायेगा जिससे स्थानीय लोगो को परेशानी हो तथा प्रदूषण हो।

4. **श्री हरजीत सिंह, ग्राम–कुण्डेश्वरी**– इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि प्लान्ट विस्तारीकरण से स्थानीय किसानों को क्या फायदा मिलेगा और कैसे ? गन्ना किसानो से क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पृक्षा की गयी।

इस पर परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया कि, गन्ने से रम, स्प्रिट बनता है प्लान्ट विस्तारीकरण से गन्ने की खपत बढेगी। उद्योग में किस प्रकार के गन्ने की आवश्यक्ता है इस सम्बन्ध में किसानों से सम्पर्क किया जायेगा तथा उन्हे गन्ने की पैदावार के बारे में बताया जायेगा व स्थानीय किसानो से ही गन्ना क्रय किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किसानो से जौ क्रय करने की बात भी कही गयी।

इसी क्रम में पैनल अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य से उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। पैनल अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्लान्ट में 6 के.एल.डी. से 10 के.एल.डी. विस्तारीकरण किया जा रहा हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्लान्ट विस्तारीकरण से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा। उनके द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल के उपस्थित होने की बात करते हुए बताया गया कि उद्योग लगने पर फैक्ट्री मैनेजमेन्ट तथा सिडकुल के बीच एक एग्रीमेन्ट होता है, जिस पर अन्य शर्तो के साथ 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त भी होती है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रशासन व क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल की जिम्मेदारी होगी कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु अनुपालन कराया जायेगा।

उनके द्वारा जन सामान्य से कहा गया कि उद्योग ZLD पर आधारित है। उद्योग परिसर से किसी भी प्रकार का पानी नदी, नलो, खेतों आदिं में निस्तारित नहीं होगा। जो पानी बचेगा उसे सालिड फार्म में होगा।

उनके द्वारा दुर्गन्ध के सम्बन्ध में कहा गया कि प्लान्ट लगता है तो प्रदूषण के मानक होते है। मानको के आधार पर ही कार्य किया जायेगा। सभी चीजो को ध्यान में रखा जायेगा तथा आस–पास के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कार्य किया जायेगा।

उनके द्वारा कहा गया कि प्लान्ट विस्तारीकरण में गन्ने की खपत बढेगी। फैक्ट्री मैनेजमेन्ट यदि बाहर से गन्ना लायेगें तो उन्हे कोई फायदा नही होगा। गन्ना स्थानीय लोगों से ही लिया जायेगा।

उनके द्वारा कहा गया कि जिस पर सिडकुल पंतनगर का विस्तारीकरण हुआ है। उसी प्रकार सिडकुल काशीपुर क्षेत्र भी आगे बढ रहा है। उद्योग लगाये जा रहें है। उद्योगों की संख्या बढ रही है। सिडकुल क्षेत्र की सडकों का भी चौडीकरण हो रहा है।

उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद बाई पास बननें से और अधिक उद्योग लगेंगें। स्थानीय लोगों का और अधिक रोजगा मिलेगा।

उनके द्वारा कहा गया कि प्रशासन तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल की यह जिम्मेदारी होगी कि उद्योग लगने से आस–पास के लोगों को कोई समस्या उत्पन्न न हो। उनके द्वारा स्थानीय लोगों से भी सहयोग किये जाने की बात कही। उनके द्वारा कहा गया कि यदि समस्या होगी तो उसका मिलकर समाधान किया जायेगा।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किया गया।

(एस.पी.सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर

(अभय प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी , काशीपुर
उधमसिंहनगर।

मै० हिमालय वाईन कम्पनी प्रा० लि०, प्लाट न० 2 ए, सैक्टर-4, आई० आई० एस्कॉर्ट फार्म, काशीपुर के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति का विवरण।

समय: प्रातः - 11:00 बजे

दिनांक - 03.04.2023

क्रमसं०	नाम	पता	मो०/दूरभाष नं०	हस्ताक्षर
1.	Abhay Pratap Singh	SDM, Kashipur	9598319364	[signature]
2	S.P. Singh	RO, UKPCB, Kashipur	9412084871	[signature]
3.	KAMAL KISHOR KAFALTIYA	RM SIIDCUL KASHIPUR	9412087774	[signature]
4.	Samarth Prasad	Co-Founder		
5.	Vinya MISRA	Prakriti Consultants Services, Lucknow	9415578819	[signature]
6.	Mounita Majumdar	Prakriti Consultants Services Lucknow	9140876535	[signature]
7	Himanshu Naugain	Kundeshwari	9756745187	[signature]
8.	Jitendra Gusain	Kundeshwari	9149958171	[signature]
9	Dharmendra Singh	Kundeshwari	9917642915	[signature]
10	Harjeet Singh	Kundeshwari	9837187182	[signature]
11	Jagmohan Singh	Dhakiya No. 2	6396951976	[signature]
12	जगमन्त सिंह नेगी	रामनगर रोड	9917000544	[signature]
13	विशम्भर	गढ़वाल कॉलोनी	8937914040	

क्रमांक	नाम	पता		मो० नं०	हस्ताक्षर
14.	Rajender Singh Bisht	Sivlalpur (Gadal)		9410763848	[illegible]
15	[illegible]	Sivlalpur		[illegible]	[illegible]
16.	Vikas Gusain	Shivlalpur Dalla		9917080233	[illegible]
17	राजेन्द्र [illegible]	[illegible]		9837270789	[illegible]
18	[illegible] सिंह [illegible]	" "		9690885883	[illegible]
19	[illegible] सिंह	[illegible]		9639942939	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]		9568195375	[illegible]
21	[illegible]	"			
22	[illegible]	[illegible]			[illegible]
23	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
24	Rajubeer Singh	[illegible]		9958249548	[illegible]
25	Balvinder Singh	Pachchawala		8171497474	[illegible]
26	[illegible]	पच्चावाला		9927807029	[illegible]
27	SARVJEET SINGH	Kushipur		7617587000	[illegible]